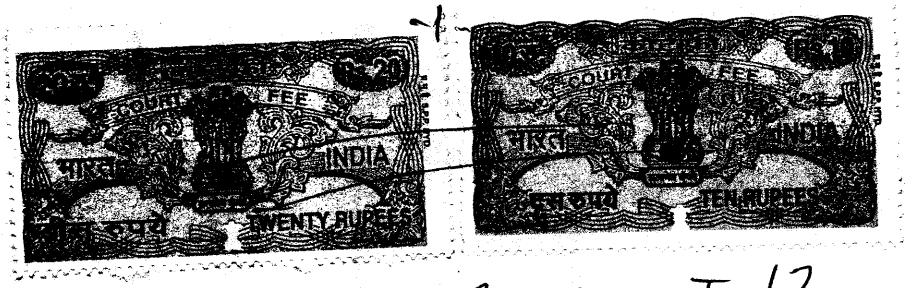

समक्ष मानूनीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../................/...............................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - मनोज कुमार गौड पिता श्री चेतू गौड जाति गौड (आदिवासी) निवासी 84, ग्राम सिहोरा तह. व जिला जबलपुर

विरूद्ध

अनावेदक - 1. रविन्द्र पटैल पिता श्री चन्द्रिका पटैल निवासी-म.नं. 1172/11, गढा रोड, रेल्वे क्रासिंग के पास तह. व जिला जबलपुर

2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

पुनिरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. मानूनीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 72/अ-21/2015-16 में पारित **आदेश** दि. 27/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनिरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि मनोज कुमार गौड पिता श्री चेतू गौड जाति गौड (आदिवासी) निवासी 84, ग्राम सिहोरा तह. व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **महगंवा** प.ह.नं. 87, रा.नि.मं. खमरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. क्रमशः 170, 171, 172/3 रकवा क्रमशः 0.170, 0.520, 0.130 इस प्रकार कुल करवा 0.820 हेक्टेयर भूमि को विक्रय करने की अनुमति रविन्द्र पटैल पिता श्री चन्द्रिका पटैल निवासी-म.नं. 1172/11, गढा रोड, रेल्वे क्रासिंग के पास तह. व जिला जबलपुर हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) **के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. **प्रकरण में प्रश्नाधीन** भूमि विक्रय अनुमति उपरांत आवेदक के **पास शेष बच रही भूमि निम्नानुसार है ग्राम महगंवा में 2.820 हैक्टैयर सिंचित भूमि शेष बच रही है।** जो कि मेरे परिवार एवं जीवन यापन के लिए पर्याप्त है आवेदित भूमि विक्रय के बाद जो भी मुझे प्रतिफल मिलेगा मैं उससे अपनी शेष बची भूमि को उपजाउ तथा सिंचाई के साधन तथा

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST. M.P Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA
JAN 2017

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 474-एक/17 **जिला** - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 50/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27-1-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक एवं अनावेदक क्रं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम महगवां प.ह.नं. 87 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 170, 171, 172/3 रकबा क्रमशः 0.170, 0.520, 0.130 कुल रकबा 0.820 हैक्टर गैर आदिम जनजाति के सदस्य प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 28-3-16 को पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी से जांच प्रतिवेदन चाहा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 29-12-16 के पूर्व कलेक्टर को पेश किया गया । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया गया जो जिलाध्यक्ष ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है । कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ऐसी स्थिति में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने में न्यायिक त्रुटि की गई है । आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है । आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि क्रय करने को तैयार नहीं है । आवेदक को कर्ज अदा करने आदि के कारण रूपयों की आवश्यकता है । आवेदक की भूमि विक्रय करने के संबंध में बात गैर आदिम जनजाति के कुछ व्यक्तियों से चल रही है परंतु वे भूमि मिलने के उपरांत ही भूमि क्रय करने की बात कह रहे हैं । जिलाध्यक्ष द्वारा प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क के लिए लंबी पेशी नियत करदी गई है जबकि आवेदक द्वारा जो आधार दिए गए हैं वे भूमि विक्रय की अनुमति देने हेतु पर्याप्त हैं । अंत में उनके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया है । आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जो उसके द्वारा क्रय की गई है उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदक द्वारा यह कहा गया है किं उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास विक्रय हेतु आवेदित भूमि के अतिरिक्त ग्राम महगवां में ही 2.820 हैक्टर सिंचित भूमि शेष बच रही है जो आवेदक के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा संहिता की धारा 165 (6) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति चाही गई है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में उनको भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 474–एक/17 **जिला** – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम महगवां प.ह.नं. 87 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 170, 171, 172/3 रकबा क्रमशः 0.170, 0.520, 0.130 कुल रकबा 0.820 हैक्टर भूमि को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक–1 को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :– 1– प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	